दिनांक 12.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 21/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

साईबर फ्राड करने वाले अन्तर्राष्टीय संगठित गिरोह द्वारा भारतीय नागरिकों को विदेश में अच्छी नौकरी का झांसा देकर जबरन म्यांमार में बुलाकर साइबर फ्रॉड के कार्यों में फंसाने वाले 540 भारतीय लोग रेस्क्यू के बाद भारत वापस। उत्तर प्रदेश के 64 लोगों को एसटीएफ द्वारा की गयी गहन पूछताछ ।

दिनांकः 10–03–2025 को साइबर फ्रॉड के सम्बन्ध में म्यांमार में फंसे भारतीय लोगों को म्यांमार से भारत लाया गया।

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में **श्री अभिताभ यश** अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था/एसटीएफ के मार्गदर्शन में भारत लाये गये लोगों में से 64 उत्तर प्रदेश के निवासियों से श्री राज कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, नोयडा व श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, मेरठ के पर्यवेक्षण में पूछताछ की गयी।

ज्ञातव्य है कि इन 540 भारतीय लोगों की म्यांमार देश से वापसी होने पर इनमें से 64 भारतीय नागरिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले 64 लोगों से श्री राज कुमार मिश्र अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ फील्ड इकाई नोयडा व श्री बृजेश कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ के पर्यवेक्षण में **संयुक्त रूप से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया है कि** अधिकतर लोग टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अन्तराष्ट्रीय संगठित गिरोह, साईबर फ्राड करने वाले गिरोह के संपर्क में आये थे, जिनको अधिक वेतन का झांसा देकर विभिन्न प्रकार की नौकरी जैसे कम्प्यूटर डाटा ऑपरेटर एंव कॉल हैडलर आदि का काम बताया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह के सदस्य द्वारा इन लोगों का ऑनलाइन वीडियो कॉल पर इन्टरव्यू भी लिया गया था और इन्टरव्यू के उपरान्त इन लोगों के पास टेलीग्राम, व्हाटसअप एवं मेल आदि के माध्यम से इनको नौकरी का नियुक्ति पत्र भी भेजा गया था। इसके बाद इन लोगों को वायुमार्ग से बैंकाक थाईलेण्ड में बुलाया गया था और बैकांक पहुँचने पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह के सदस्य इन लोगों को लेकर लगभग 500 कि0मी0 दूर म्यांमार बार्डर की तरफ ले गये थे, जहाँ इनको होटल में रूकवाया जाता था। इसके बाद अगले दिन गिरोह के दूसरे सदस्य इन लोगों को म्यांमार थाईलेण्ड बार्डर पर ले जाते थे, जहाँ से इन लोगों को बीच में पड़ने वाली

नदी को पार कराकर म्यांमार के MYAWADDY रीजन में ले जाया जाता था, जहाँ पर संगठित गिरोह के सदस्यों के द्वारा बडे पैमाने पर इन लोगों के रहने के लिए हॉस्टल, कॉल सेन्टर, ट्रेनिंग इंसट्रीटयूट बना रखे थे। संगठित गिरोह के सदस्यो के द्वारा यहीं पर इन लोगों के पासपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज रखवा लिये गये थे और जो लोग इसका विरोध करते थे उन लोगों को यातनाएं दी जाती थी। संगठित गिरोह के लोगों के द्वारा इन भारतीय लोगो को काम के बदले थाई करेन्सी "भात" (थाईलेण्ड करेन्सी) दिया जाता था, जिनको यह लोग मनी एक्सचेन्जर के माध्यम से अपने परिजनों के एकाउन्ट में भेज देते थे।

अवगत कराना है कि संगठित गिरोह के लोग MYAWADDY रीजन में इस प्रकार के काम करने के लिए भारत के अलावा कई अन्य देशों के नागरिकों भी इसी प्रकार से ले जाते थे जिनको साइबर फ्रॉड के माध्यम से धोधाधड़ी करने के काम में लगा दिया जाता था।

एस०टी०एफ० उत्तर प्रदेश द्वारा उपरोक्त विषयगत मामले में गहनता से जानकारी की गयी है और छानबीन से जो तथ्य प्रकाश में आये हैं उनको विकसित करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 12.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 22/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/काइम ब्रान्च गाजियाबाद

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 11.03.2025 को काइम ब्रान्च गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मूवी मैजिक रोड थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त चरण सिंह पारदी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोनी बॉर्डर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चरण सिंह पारदी निवासी हड्डी मिल थाना कोतवाली सिटी गुना जनपद गुना, म0प्र0 मूलपता—ग्राम छोटी कनेरी थाना धरनावदा जनपद गुना, म0प्र0, हालपता—मोहल्ला बूढ़े बालाजी थाना कोतवाली सिटी गुना जनपद गुना म0प्र0।

जनपद कौशाम्बी/थाना संदीपनघाट

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 05 हजार 120 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 12.03.2025 को थाना संदीपनघाट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इमामगंज के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के माल बिक्री के 05 हजार 120 रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट प्रयागराज, जनपद मऊ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, महोबा, रायबरेली, सुल्तानपुर, सोनभद्र, अमेठी, चित्रकूट, झाँसी, कौशाम्बी के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 52 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद कौशाम्बी से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना संदीपनघाट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुनील निवासी छोटकी सिरिया थाना बांसडीह जनपद बलिया, हालपता मढ़ोका रोड़ थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1—चोरी के माल बिक्री के 05 हजार 120 रूपये नगद।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भोपा

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 11/12.03.2025 की रात्रि थाना भोपा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जौली नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त आसमोहम्मद उर्फ आशु घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जो थाना भोपा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना भोपा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आसमोहम्मद उर्फ आशु निवासी ग्राम सीकरी थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बागपत/थाना खेकडा

- **पुलिस कार्यवाही में 09 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत के मोबाइल टॉवर के चोरी के 14 आर0आर0यू0, 05 आर0आर0यू0 कवर, 08 बेसबैण्ड प्लेट, 36 बेसबैण्ड फैन आदि**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 12.03.2025 को थाना खेकडा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 1—फैसल उर्फ शानू 2—अमन घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3— सूरज 4— शिवम 5— साकिर 6— शाहरूख 7— इकरामुद्दीन उर्फ रामू

8—फरमान 9—साजिद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत के मोबाइल टॉवर के चोरी के 14 आर0आर0यू0, 05 आर0आर0यू0 कवर, 08 बेसबैण्ड प्लेट, 36 बेसबैण्ड फैन आदि, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद बागपत, बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली आदि क्षेत्रो के मोबाइल टॉवर से चोरी की घटना कारित करते है।

इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—फैसल उर्फ शानू निवासी अशोक विहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—अमन निवासी अशोक विहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3—सूरज निवासी शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4—शिवम निवासी शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद।

5—साकिर निवासी अशोक विहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

6—शाहरूख निवासी ग्राम पाली थाना कोतवाली जनपद बागपत।

7—इकरामुद्दीन उर्फ रामू निवासी पतला जारण थाना निवाडी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

8—फरमान निवासी अशोक विहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

9—साजिद निवासी अशोक विहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत के मोबाइल टॉवर के चोरी के 14 आर0आर0यू0, 05 आर0आर0यू0 कवर, 08 बेसबैण्ड प्लेट, 36 बेसबैण्ड फैन आदि।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद हमीरपुर/थाना मौदहा

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 6350/–रूपये नगद**
- **लूट का मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 11/12.03.2025 की रात्रि थाना मौदहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिजनौड़ा क्रासिंग के पास से अभियुक्त 1–साहिल बाबू 2–सोबराती अहमद उर्फ शाकिर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही पर ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल के पहले पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 3–जमशेदउद्दीन घायल हो गया, जिसे भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 6350/–रूपये नगद, लूट का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जमशेदउद्दीन के विरूद्ध जनपद हमीरपुर के थाना मौदहा पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मौदहा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साहिल बाबू निवासी अरतरा मोड़ थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

2–सोबराती अहमद उर्फ शाकिर निवासी इलाही तालाब कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

3–जमशेदउद्दीन चौधराना कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1—लूट के 6350/—रूपये नगद।

2—लूट का मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 48 हजार 940 रूपये नगद**
- **चोरी के आभूषण, मोबाइल फोन, विदेशी मुद्रा आदि**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 12.03.2025 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पालीवाल पार्क के पास से 02 अभियुक्तों 1—बिल्ला उर्फ विनोद 2—सुनील को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 48 हजार 940 रूपये नगद, चोरी के आभूषण, मोबाइल फोन, विदेशी मुद्रा आदि, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना हरीपर्वत क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण, मोबाइल फोन आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बिल्ला उर्फ विनोद निवासी मीरपुर थाना पिसावा जनपद अलीगढ़।

2—सुनील निवासी गिहार बस्ती थाना हरीपर्वत कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1—चोरी के 02 लाख 48 हजार 940 रूपये नगद।

2—चोरी के आभूषण, मोबाइल फोन, विदेशी मुद्रा आदि।

3—घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन।

एएनटीएफ/एएनटीएफ थाना गाजीपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 534 ग्राम अवैध चरस**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 आधार कार्ड, 01 बैग आदि बरामद**

दिनॉकः 12.03.2025 को एएनटीएफ थाना गाजीपुर द्वारा सूचना के आधार पर रामजानकी मंदिर अस्सी नाला, सियाराम डेरी के पीछे थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी से अभियुक्त आलोक राज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 534 ग्राम अवैध चरस, 01 मोबाइल फोन, 01 आधार कार्ड, 01 बैग आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आलोक राज निवासी ग्राम बरूना वार्ड नं0—01 बरूआर एस बक्सर थाना औद्योगिक बक्सर जनपद बक्सर, बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 534 ग्राम अवैध चरस।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 आधार कार्ड, 01 बैग आदि।

जनपद शामली/थाना थानाभवन

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **79 जीवित, 10 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बिक्री के 05 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 11/12.03.2025 को थाना थानाभवन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माजरा रिसालगढ़ जंगल स्थित ट्यूवेल के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त शराफत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 04 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 79 जीवित, 10 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बिक्री के 05 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शराफत निवासी ग्राम मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी

1–04 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–79 जीवित, 10 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बिक्री के 05 हजार रूपये नगद।

4–02 मोबाइल फोन।

5–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 29–29 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/147/148/452/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रिजवान उर्फ रज्जू 2–निर्मल उर्फ नीटू 3–रामगोपाल 4–गजेन्द्र 5–मनोज 6–प्रवेश 7–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 29–29 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना दरगाह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना दरगाह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त इन्तजार को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफ–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह की सक्रिय सदस्य मुस्कान तिवारी पुनः लखनऊ से गिरफ्तार, 04 अदद पिस्टल मय मैगजीन सहित बरामद।

दिनांक 12–03–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह की मुस्कान तिवारी को पुनः जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करते हुये 04 अदद पिस्टल बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1–मुस्कान तिवारी पुत्री संतोष तिवारी निवासी रूदौली, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर।

बरामदगीः–

1– 04 अदद–पिस्टल 32बोर

2– 07 अदद मैगजीन

3– 01 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

कैसरबाग बस स्टेशन के पास थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ। दिनांक 12–03–2025

अवैध असलहो एवं कारतूस की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के पूर्वांचल में सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम द्वारा विगत में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही करते हुये दिनांक 20–11–2024 को अंकित कुमार पाण्डेय निवासी बाराचवर थाना करीमुद्दीनपुर, जनपद गाजीपुर तथा दिनांक 15–12–2024 को मुस्कान तिवारी उपरोक्त एवं उसके साथी सत्यम यादव को दो अदद पिस्टल के साथ जनपद सुल्तानपुर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ एवं अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ था कि इस अन्तर्राज्यीय असलहा तस्कर गैंग का सरगना शुभम सिंह निवासी जुडापुर, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर है, जिसका एक संगठित गिरोह है। इस गैंग का नेटवर्क पंजाब, उ0प्र0, बिहार, दिल्ली आदि राज्यों में फैला हुआ है।

शुभम सिंह के असलहा तस्कर गैंग के सदस्यों के संबंध में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी कि ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा पूर्व में गिरफ्तार जेल भेजी गयी अभियुक्त मुस्कान तिवारी जमानत पर छूटने के उपरान्त पुनः अपने गैंग से जुडकर असलहा तस्करी में पुनः सक्रिय हो गयी, जिसके क्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी कि जरिये विश्वस्त सूत्र ज्ञात हुआ कि शुभम सिंह गैंग की सक्रिय सदस्य मुस्कान तिवारी असलहों के साथ मेरठ से आ रही है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 वाराणसी की टीम, जो अभिसूचना संकलन हेतु लखनऊ में भ्रमणषील थी, द्वारा स्थानीय पुलिस एवं महिला पुलिसकर्मी को साथ लेकर कैसरबाग बस स्टेशन लखनऊ के पास पहुँचकर मुस्कान तिवारी को गिरफ्तार करते हुये उसके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त मुस्कान तिवारी से पूछताछ एवं अभिसूचना संकलन से पाया गया कि एस0टी0एफ0 वाराणसी द्वारा मुस्कान तिवारी व उसके साथी सत्यम यादव को दिनांक 15–12–2024 को जनपद सुल्तानपुर में गिरफ्तार करते हुये इनके पास से 02 पिस्टल बरामद करते हुये जेल भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद इसके द्वारा पुनः सरगना शुभम सिंह सम्पर्क में आकर असलहा तस्करी का काम शुरू कर दिया। असलहा तस्करी में काफी पैसा है। मुस्कान तिवारी शुभम सिंह के प्रभाव में आ गयी। सरगना शुभम सिंह द्वारा योजना बनायी गयी कि दो लोगों के एक साथ असलहा लेने के जाने पर पकड़े जा रहे हैं। अब आगे से गैंग के सदस्य अकेले ही असलहा लेने–देने के लिये जायेगें। इसी क्रम में मुस्कान तिवारी अकेले ही मेरठ असलहा लेने गयी। शुभम सिंह द्वारा बताया गया कि मेरठ में शोहराबगेट बस स्टेशन के पास एक लड़का 04 पिस्टल लाकर देगा। इसके लिये उसे 50 हजार रूपये मिला था। प्रत्येक पिस्टल की कीमत लगभग डेढ लाख रूपये है। उसे शाहगंज जनपद जौनपुर में लाकर देना है। इसी योजना के तहत मुस्कान तिवारी मेरठ से पिस्टल लेकर बस द्वारा कैसरबाग बस स्टेशन पर आयी थी, जहॉ से शाहगंज के लिये बस पकड़ना थी।

उल्लेखनीय है कि मुस्कान तिवारी द्वारा पूछतांछ के दौरान यह भी बताया गया है कि उसके द्वारा पूर्व में कई बार कारतूस व असलहा लाकर शुभम सिंह के बताये स्थान पर दे चुकी है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना वजीरगंज, जनपद–लखनऊ में मु0अ0सं0 67/2025 धारा 111बी0एन0एस0 तथा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

————————